न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) सिरोही (राज.)
बईजलास पीठासीन अधिकारी हरि सिंह देवल (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.पत्र संख्या 122/2023

प्रार्थी

कालुराम पुत्र श्री भाणाराम जाति जटिया, उम्र वयस्क, निवासी जटियावास सिरोही, तहसील सिरोही

जला सिरोही (राज.)

बनाम

अप्रार्थी

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही तहसील व जिला सिरोही ।

उपस्थित :–

1– प्रार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री प्रकुल भाली

2– अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (ना.तह.सिरोही)

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता दिलाने बाबत

न्यायालय सहायक कलक्टर सिरोही (राज०) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक 26–11–2024

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.काश्त.अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता दिलाने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 03–07–2023 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के एकल खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा संख्या 1477/393 कुल रकबा 0.2985 हैक्टेयर मौजा सिंदरथ पटवार हल्का धान्ता भू अभिलेख नि. क्षेत्र कृष्णगंज तहसील व जिला सिरोही मे स्थित है जिसमे प्रार्थी सम्पूर्ण खसरे का एकल खातेदार होकर सम्पूर्ण आराजी मे प्रार्थी काबिज कब्जा काश्त हैं। प्रार्थी अपने एकल खातेदारी एंव कब्जे काश्त की कृषि आराजी में आने जाने के लिए बिल्कुल लगती हुई बिलानाम कृषि आराजी मे 393 व 403 मे बने रस्ते (जिसे सल्गंन नक्शे मे मार्क A से B व B से C से अंकित किया गया है),जो राजस्व रेकर्ड में अंकित नही है पर मौके पर रास्ता स्थित है, जो पुराना होकर कदीमी से खातेदारो के द्वारा उपयोग व उपभोग किया जा रहा हैं तथा जिस पर से प्रार्थी तथा प्रार्थी से पुर्व खातेदार कदीमी से अपने आराजी खसरा संख्या 1477/393 पर फसल बोने जोतने एंव आने जाने हेतु टेक्ट्रर लाने ले जाने एवं बेलगाडी लाने ले जाने हेतु संलग्न नवशे मे मार्क A से B व B से C रास्ते का बिना किसी बाधा के शान्तिपूर्ण तरीके से उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी अपने खातेदारी कृषि आराजी पर आवाजाही के लिए सल्गंन नक्शे मे मार्क A से B व B से C रास्ते का उपयोग व

उपभोग कर रहा है जो कि सरकारी बिलानाम आराजी खसरा संख्या 393 व 403 मे स्थित हैं तथा उसी रास्ते से प्रार्थी से पूर्व खातेदार कदीमी से अपनी आरांजी पर फसल बोने जोतने जाने हेतु टेक्ट्रर लाने ले जाने एवं बेलगाडी लाने ले जाने हेतु रास्ते का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है । प्रार्थी के खातेदारी के आस–पास श्रीनाथ रेजीडेन्सी के नाम से आबादी क्षेत्र आया हुआ है जहाँ पर रहवासी सभी लोग बिलानाम कृषि आराजी मे 393 व 403 मे बने रास्ते (जिसे संलग्न नक्शे मे नक्शे मे मार्क A से B व B से C से अंकित किया गया है) से ही अपने क्षैत्र मे आवागमन करते है । उक्त रास्ता वर्तमान मे भी मौके पर दर्शित हैं जिससे प्रार्थी व प्रार्थी के पुर्व खातेदार अपनी आराजी मे और वहाँ पर रहवासी सभी लोग अपने रहवास स्थान मे आने जाने के लिये आवागमन करते आ रहे हैं लेकिन प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी मे आने जाने के लिये उपयोग कर रहे रास्ता राजस्व रेकर्ड मे तरंमीम नहीं होनें से प्रार्थी को परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी को अपने कृषि आराजी मे आने जाने के लिये मौके पर केवल यही रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी को अपने खातेदारी एंव कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा संख्या 1477/393 मे आवागमन करने के लिये संलग्न नक्शे मे दर्शित मार्क A से B व B से C के रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मौजुद नही हैं। यह की प्रार्थी अपने कृषि आराजी 1477/393 मे आने जाने के लिए बिलानाम आराजी खसरा संख्या 393 व 403 मे बने रास्ता (जिसे सल्गंन नक्शे मे मार्क A से B व B से C अंकित किया गया है), को राजस्व रेकर्ड जमाबंदी, नक्शे मे तरमीम रास्ते के रुप मे करते हुए उस अनुसार रेकर्ड मे अमल दरामद करवाने के लिये नियमानुसार शुल्क अदा करने के लिये तैयार व तत्पर हैं ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे संलग्न प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की जमाबंदी मौजा सिंदरथ के खसरा संख्या 1475/397 रकबा 0.0798 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1477/393 रकबा 0.2985 हैक्टेयर, नक्शा प्रति, जमाबंदी खाता संख्या 1 की प्रतियो का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्ट्या आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 17–07–23 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को जारी नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शा.मि. किये गये ।

प्रकरण में अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही ने जरिये पत्रांक/रीडर/2024/27 दिनांक 09–04–2024 से जवाब प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है कि जमाबन्दी मौजा सिन्दरथ, पटवार मण्डल धान्ता के खाता, संख्या 444 में खसरा नम्बर 1477/393 रकबा 0.2985 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 1477/393 में आवागमन हेतु राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का रास्ता दर्ज नहीं है। संलग्न मौका फर्द दिनांक 15.02.2024 के अनुसार प्रार्थी (व उक्त भूमि के रसाधिकारीयों) द्वारा उक्त आराजी में कृषि – कर्म प्रयोजनार्थ रेकर्ड में दर्ज रास्ता खसरा नम्बर 1460/405 (किस्म रास्ता) से खसरा नम्बर 1458/405 (आवासीय रूपान्तरित कॉलोनी)

1411 /403 (आवासीय रूपान्तरित) के मध्य स्थित रास्ते से होकर बिलानामा खसरा नम्बर 403 व 393 के माध्यम से उक्त आराजी में आवागमन करता है। प्रार्थी की आराजी में आवगमन हेतु खसरा सं. 403 (बिलानाम दर्ज भूमि) में (चौ.×ल.) 9.14×52 = 475.28 वर्गमीटर व खसरा संख्या 393 (बिलानाम दर्ज भूमि) में (चौ.×ल.) 9.14×84 = 767.76 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 1243.04 वर्गमीटर भूमि नियमानुसार रास्ते में उपलब्ध करवाया जाना उचित है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 19–11–2024 को वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई । प्रकरण वास्ते निर्णय दिनांक 26–11–2024 को नियत की गई ।

हमने विचारण प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर वकील प्रार्थी तथा स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार की अंतिम बहस पर गंम्भीरता से मनन किया। विचारण प्रकरण की मुल पत्रावली मय प्रार्थना पत्र व अप्रार्थीगण का जवाब व सलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व संलग्न नक्शा का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। संपूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया गया कि अप्रार्थी स्टेट की ओर से प्राप्त जवाब अनुसार तहसीलदार सिरोही ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मे अंकित रास्ते के अभाव को सही होना स्वीकार किया है तथा पैरोकार सरकार ने भी अपनी बहस मे तहसीलदार सिरोही के जवाब अनुसार प्रार्थी को उसकी खातेदारी कृषि भूमि मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे खातेदारी भूमि मे पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है। अतः प्रार्थीगण को उसके खातेदारी आराजी मे आने जाने के लिए मवेशी टेक्ट्रर बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिए आत्यांतिक आवश्यकता होने से एंव वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता सिद्ध नही होने से तथा तहसीलदार सिरोही ने अपने जबाब मे भी रास्ता मौके एंव रेकर्ड मे नही होना बताया है इस कारण तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध अप्रार्थी का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एंव तहसीलदार सिरोही के प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी को उनकी खातेदारी कृषि भूमि मौजा सिंदरथ तहसील सिरोही के खसरा संख्या 1477/393 रकबा 0.2985 हैक्टेयर में आने जाने हेतु प्रार्थी की आराजी में आवगमन हेतु खसरा सं. 403 (बिलानाम दर्ज भूमि) में (चौ.×ल.) 9.14×52 = 475.28 वर्गमीटर व खसरा संख्या 393 (बिलानाम दर्ज भूमि) में (चौ.×ल.) 9.14×84 = 767.76 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 1243.04 वर्गमीटर भूमि रास्ता दिया जाना उचित होने से नियमानुसार रास्ता के लिये स्वीकृत की जाती है।

इस सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251(क) के तहत श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप 6) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.(52) राज.–6/4 दिनांक 14.06.2013 बाबत राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के सम्बन्ध मे दिये गये प्रावधानो अनुसार उक्त रास्ते की भूमि स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते है :–

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरो या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 कि उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और (ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन अवधारित भूमि के तुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष या संरचना को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

तहसीलदार सिरोही द्वारा उक्त रास्ता की भूमि की नियमानुसार कीमत अवधारित कर कीमत की राशि प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय सिरोही मे कीमत राशि अप्रार्थी उपरोक्तानुसार भुगतान करने पर भूमिधारी तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव अनुसार मौजा सिंदरथ के तहसील सिरोही के खसरा संख्या 1477/393 रकबा 0.2985 हैक्टेयर में आने जाने हेतु प्रार्थी की आराजी में आवगमन हेतु खसरा सं. 403 (बिलानाम दर्ज भूमि) में (चौ.×ल.) 9.14×52 = 475.28 वर्गमीटर व खसरा संख्या 393 (बिलानाम दर्ज भूमि) में (चौ.×ल.) 9.14×84 = 767.76 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 1243.04 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु भूमि कम कर राजस्व रेकर्ड में किस्म गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते में दर्ज करने की कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 26–11–2024 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरि सिंह देवल)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 26–11–2024 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर सिरोही (राज०)